



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-09.04.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0371/2021 व एसटी नं०-0274/2025 धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाब हरिजन पुत्र रामजतन निवासी सहदा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-09.04.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त गुलाब हरिजन उपरोक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी